

राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(पंचायती राज विभाग)

क्रमांक:एफ 28()पंरावि/प्रशा.2/पंचा.प्र.अ./सेवा.निवृत्त/2018/55) जयपुर,दिनांक: 23.01.18

:: आ दे रा ::

श्री सूरजकरण बटेसर, पंचायत प्रसार अधिकारी, पंचायत समिति जायल, जिला नागौर के रूप में अधीनस्थ सेवा में कार्यरत थे, को अधिवार्षिता की आयु पूरी कर लेने से दिनांक 31.01.2018 से सरकारी सेवा से सेवानिवृत्त किया जाता है।

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री बटेसर के विरुद्ध आज तक:-

- (1) राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम,1958 के नियम-16 के अधीन कोई विभागीय जाँच विचाराधीन/लम्बित नहीं है।
- (2) राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम,1958 के नियम-19 के अधीन कोई विशेष प्रक्रिया की कार्यवाही विचाराधीन/लम्बित नहीं है।
- (3) कोई न्यायिक कार्यवाही विचाराधीन/लम्बित नहीं है।

आज्ञा से,


(पूनम प्रसाद सागर)

संयुक्त सचिव एवं उपायुक्त

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित है :-

1. निदेशक, पेंशन एवं पेंशनर्स कल्याण विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद नागौर को प्रेषित कर लेख है कि उक्त पंचायत प्रसार अधिकारी के विभागीय जाँच बकाया नहीं होने का प्रमाणीकरण आप द्वारा प्रेषित प्रमाण पत्र के आधार पर किया गया है। अतः उक्त कार्मिक के सेवानिवृत्ति तक किसी प्रकार की प्रतिकूल कार्यवाही विरचित होने पर पेंशन विभाग एवं इस कार्यालय को अवगत कराते हुए नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करें।
3. विकास अधिकारी, पं.स. जायल (नागौर)।
4. श्री सूरजकरण बटेसर, पंचायत प्रसार अधिकारी, पंचायत समिति जायल, जिला नागौर
5. ए.सी.पी., मुख्यालय को विभागीय वेबसाईड पर अपलोड करने हेतु।
6. आदेश / रक्षित पत्रावली


संयुक्त सचिव एवं उपायुक्त